

प्रपत्र-2.1

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

क्र.सं.	विवरण	
7	परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्ग्रालीकोट तक 5.00 किमी० गीटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव	
i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	बागेश्वर
iii)	वन प्रभाग	बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सिविल भूमि-1.440 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.540 हेक्टेयर, (कुल वनभूमि-1.980 है०)वनभूमि
v)	वन की कानूनी स्थिति	सिविल स्थान एवं वन पंचायत
vi)	इशियाली का घनत्व	0.2
vii)	प्रजातियों (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (सलग्न की जाए)। मिचाई/ जलाय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. - 8 मी० पर परिगणना भी सलग्न की जाए।	सूची संलग्न है।
viii)	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षम टिप्पणी।	भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न भू संरक्षण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमति दूरी	संलग्न है।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय अज्ञान, वन्य जीव अग्रारण्यजैवमण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कारीजोआदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वर्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	नहीं।
xi)	क्या क्षेत्र में वनारण्य और प्राणिजाल की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8	प्रयोगिता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ संस्कार संसृत क्षेत्र क्या है।	वनभूमि न्यूनतम है अभी मार्ग प्रस्तावित है कोई उल्लंघन नहीं किया। स्वीकृति के उपरान्त निर्माण करवाया जाना है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक बनीकरण रकम का ब्यौरा:-	संलग्न है।
i)	प्रतिपूरक बनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अव्यक्तित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आवार।	
ii)	प्रतिपूरक बनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अव्यक्तित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii)	संघित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक बनीकरण रकम के विवरण, कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत का आदि।	
iv)	प्रतिपूरक बनीकरण रकम के लिए कुल वित्तीय परिचाय।	
v)	प्रतिपूरक बनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्राण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा इस्ताहरित किया जाए)	प्रस्ताव में संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।

12	प्रभाग / जिला प्रोमोडल	
i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	23100
ii)	जिला का वन क्षेत्र।	107400
iii)	मानलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	393 जामले 1453.20 हे
iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1315.275 हे
क)	दण्ड के रूप में प्रतिकूल वनीकरण सहित वनभूमि	
ख)	वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिकूल वनीकरण में हुई प्रमाते	
क)	वन भूमि पर	1081.00 हे
ख)	वनेत्तर भूमि पर	284.272 हे
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में सच वन संरक्षक की विचार सिफारिश।	स्वीकृति हेतु संस्तुति बनी जाती है

स्थान- राजेश्वर

दिनांक-

हस्ताक्षर-

नाम-

(रमेश चन्द्र)

मोहर-

राजस्थान वनाधिकारी
राजस्थान वन विभाग
राजेश्वर